



राजस्थान सरकार

( आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

लय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम )  
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट (कैम्प...पुतासीन)

अधिकारी .....

.....  
53, 188 रजि. नं. 3121  
228/17  
11.5.2018

वादी की ओर से ..... की व प्रतिवादी की ओर से .....  
आज तारीख 11.5.18 को ..... ( नाम पीठासीन अधिकारी ) के समक्ष अन्तिम

ए पेश होने पर, आदेश किया जाता है ओर डिग्री दी जाती कि - वादी का वाद इल्लखर  
किया जाता है कि अन्तिम वाद पत्र में पेशित दस्तावेजों एवं  
सम्बन्धित विभाजन प्रस्ताव अनुसार ही को किया जाता है। वाद पत्र  
नं. 228/17 अन्तर्गत राजस्थान सिकरि में प्रमाण दर्शाते हैं।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे ।

यह आज तारीख 11.5.18 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

*cup*  
( विश्वाकिशोभा R.A.S )

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर ,कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प		
क्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
दर्शों के लिए स्टाम्प		
.....रूपये पर प्लीडर के फीस		
साक्षियों को लिए निर्वाह -व्यय		
कमिश्नर की फीस		
आदेशिका की तामिल		
जोड		जोड